न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/430

मिसलनम्बर– 64 / 2025

1.श्रीमति मंजू बाई पत्नी श्री बृजमोहन सुमन आयु 60 वर्ष जाति माली
2.बृजमोहन पुत्र भंवरलाल आयु 65 वर्ष निवासीगण मकान नम्बर–191, विनोबा भावे नगर, कोटा–राज० मो. न.– 9887682607

.....प्रार्थीगण

बनाम

1.गीता पत्नी श्री हितेश कुमार सुमन आयु लगभग 38 वर्ष
2.हितेश कुमार सुमन पुत्र श्री बृजमोहन आयु 40 वर्ष निवासीगण मकान नम्बर 191, विनोबा भावे नगर, कोटा–राज० मो० न०– 9588056242

.....अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/03/2026

उपस्थिति:–
1.श्री दीनदयाल सोनी प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री सुरेश कुमार महावर अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता
3.अप्रार्थी नं0 2 स्वयं

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण सीनियर सिटीजन है तथा आपस में पति पत्नी है तथा प्रार्थी क्रम 1 की उम्र 60 वर्ष है एवं प्रार्थी क्रम 2 की आयु 65 वर्ष तथा बुर्जुग दम्पत्ति है। तथा अप्रार्थीगण क्रम 1 पुत्रवधु व क्रम 2 पुत्र इस प्रकार अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पुत्र वधु व पुत्र है। प्रार्थीगण का स्वंय का एक मकान जो दो मंजिला बना हुआ है। ग्राउण्ड फ्लोर पर अपने पुत्र हरिओम के साथ निवास करते है तथा अप्रार्थीगण प्रथमतल पर निवास करते है तथा प्रार्थी क्रम 2 राजकीय सेवा से सेवानिवृत है।

अप्रार्थी क्रम 1 गीता जो कि राजकीय सेवा में लेक्चरार के पद पर पदस्थापित है अप्रार्थी क्रम 1 आये दिन प्रार्थीगण व उनके छोटे पुत्र हरिओम व उसकी पत्नी के साथ बिना किसी बात पर लडाई झगडे व

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मारपीट करती रहती है तथा झूठे मुकदमों में फंसाकर जैल भेजने की धमकी देती है। अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण के स्वंय के खरीदे हुए मकान पर कब्जा करना चाहती है। प्रार्थीगण व उनके पुत्र हरिओम को उन्ही के मकान से बेदखल करने के लिये किसी न किसी बात को लेकर लडाई झगडे करती रहती है तथा धमकियां देती है कि में लेक्चरार हूं और मेरी काफी ज्यादा जान पहचान है तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मकान खालीकर यहां से निकल जाओ और मकान मेरे नाम कर दो इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर अप्रार्थी क्रम 2 जो कि प्रार्थीगण का पुत्र व अप्रार्थी क्रम 1 का पति है वह जानबूझकर उक्त विषय में चुपचाप रहता है क्योंकि अप्रार्थी क्रम 1 उसके साथ भी आये दिन मारपीट कर गाली गलोंच करती तथा उसे भी झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती जिसके डर के कारण अप्रार्थी क्रम 2 अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध जाकर कोई बात नही करता न ही प्रार्थीगण का साथ देता और न ही बीच–बचाव करता।

दिनांक 12–06–2025 को अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी क्रम 1 के साथ लडाई झगडा किया साथ ही प्रार्थी क्रम 1 की छोटी बहु प्रिया के साथ भी मारपीट की जो कि गर्भवती है तथा प्रार्थी क्रम 1 के साथ भी मारपीट की तथा थप्पडे देते हुए गला दबाकर नीचे गिरा दिया, जिससे प्रार्थी क्रम 1 को चक्कर आने लगे और बेहोशी आने लगी तथा कहने लगी कि तुम जब तक इस घर को छोडकर नहीं जाओगे जब तक यह घर मेरे नाम नहीं करवा दोगे तुम्हारे साथ ऐसे ही मारपीट होती रहेगी तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मकान हमारे नाम कर दो और हमें संभला दो। प्रार्थीगण द्वारा उक्त सारी बातें अप्रार्थी क्रम 1 के परिवार वालों को बतायी तो वह भी उल्टा उसकी का साथ देते तथा प्रार्थीगण से कहते कि उक्त मकान उनके नाम क्यों नहीं करवा देते तुम लोग तो वैसे भी बूढे हो चुके हो ऐसा कहकर अप्रार्थी क्रम 1 का ही पक्ष लेते।

अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थीगण के साथ मारपीट करने व परेशान करने की रिपोर्ट भी पूर्व में थाना अनन्तपुरा, कोटा को दिनांक 15–06–2025 में भी दी गई थी परन्तु थाना अनन्तपुरा, कोटा द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लायी गयी है। यदि अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही ही की गई तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण व उसके पुत्र हरिओम व उसकी पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल देंगे।

अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा बार–बार मारपीट करने के डर से प्रार्थीगण अपने बिचले पुत्र जितेन्द्र के साथ अपने दूसरे मकान में पिछले

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कुछ दिनों से निवास कर रहे है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के मकान को हडप कर उन्हें बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। अप्रार्थीगण के मध्य दुरभि संधी होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी के मकान पर कब्जा करने को आमादा हो गये है, अप्रार्थी क्रम 2 बारम्बार धमकी देने लगी है कि यदि अप्रार्थी क्रम 2 की उक्त मांगों को नहीं माना जाता है और उक्त मांगो की पूर्ति करने में किसी भी प्रकार की कोताही बरती जाती है तो अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी व उसके परिवारजन के विरूद्ध झूठे मुकदमें दर्ज करवा देगी, साथ ही प्रार्थी क्रम 2 के प्रति बलात्कार का आरोप लगाकर झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल की हवा खिलायेगी।

प्रार्थीगण अत्यधिक वृद्ध है तथा अक्सर बीमार रहते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का यह परम कर्तव्य है कि वह प्रार्थीगण की सेवा सुश्रुषा व भरण पोषण के दायित्वों का निर्वहन करें। प्रार्थीगण के मिल्कीयती परिसर को तत्काल प्रभाव से खाली कर प्रार्थीया के शांति पूर्ण जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे और न ही प्रार्थी स्वअर्जित सम्पत्ति के बेचान अथवा नामांतरण के लिये प्रार्थी व उसकी पत्नी को विवश करे। प्रार्थीगण के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प अब शेष नही रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्ततुत कर निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय अप्रार्थीगण को इस बाबत् पाबन्द करे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के भरण पोषण व देखभाल की समुचित व्यवस्था एवं प्रबन्ध करें, प्रार्थीगण के साथ समुचित व्यवहार करें और प्रार्थीगण के आवासीय परिसर को खाली कर स्वंय के निवास के लिये पृथक से व्यवस्था करें। प्रार्थीगण के साथ ऐसा कोई कृत्य अमल में नही लावे जिससे प्रार्थीगण के जीवन की सुखशांति भंग हो और प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आघात पहुंचे। प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने दे एवं उनके साथ किभी प्रकार से अभद्र व्यवहार न करें। प्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति के बेचान नामान्तरण के लिये विवश न करें। साथ ही अन्य अनुतोष स्वीकृत करें जो तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन ठीक और उचित समझे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। **अप्रार्थी क्रम 1 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है–** प्रार्थी क्रम 2 वन विभाग में सरकारी कर्मचारी थे जो वर्ष 2022 में सेवानिवृत हुए है और उस समय 7वां वेतन आयोग लागू था। जिसके चलते सेवानिवृति के समय जी.पी.एफ. व अन्य

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

राशि एकमुश्त प्रार्थी क्रम 2 को प्राप्त हुई है तथा प्रार्थीगण पति–पत्नि है एवं प्रार्थी क्रम 2 को हर माह पेंशन प्राप्त होती है। जो कि प्रार्थीगण के भरण–पोषण व अन्य खर्चों के लिए हर प्रकार से प्रर्याप्त है एवं प्रार्थीगण संयुक्त परिवार में निवास करते है। जिनकी समुचित देखभाल की व्यवस्था व प्रबन्ध स्वतः ही हो जाती है तथा प्रार्थीगण एवं उनका बेटा हरिओम और व उसकी पत्नी प्रिया सभी एक साथ रहते है। जिसमें राशन पानी लाइट का बिल हारी–बीमारी (चिकित्सा) व अन्य सभी प्रकार के खर्चे अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा उठाया जाता है प्रार्थीगण ने अपनी उम्र भी ज्यादा बताई है।

प्रार्थीगण व उनका बेटा हरिओम व बहु प्रिया तथा अप्रार्थीगण सभी एक ही मकान में संयुक्त परिवार में निवास करते है तथा प्रार्थीगण अपनी इच्छा से ग्राउण्ड फ्लोर व प्रथम तल दोनों जगह पर ही निवास करते हैं। अप्रार्थी क्रम 1 गीता सरकारी अध्यापिका हैं, प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का पुत्र हरिओम व पुत्र वधु प्रिया व अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार में रहते है तथा अप्रार्थी क्रम 1 गीता सरकारी अध्यापिका होने के कारण प्रार्थीगण के आदेशानुसार सारा खर्चा राशन पानि, बिजली बिल, चिकित्सा खर्च आदि अप्रार्थी क्रम–1 को उठाना पड़ता है तथा अप्रार्थी क्रम 1 सुबह घर का दैनिक रोजमर्रा का सारा काम करके स्कूल में अपनी ड्यूटी पर जाती है तथा वापस आकर भी घर का सारा काम अप्रार्थी क्रम 1 को ही करना पड़ता है तथा प्रार्थीगण, हरिओम व हरिओम की पत्नी प्रिया सभी एक राय होकर छोटी–छोटी बातों को लेकर कहासुनी करते है तथा घर का सम्पूर्ण खर्चा अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा वहन करने के बावजूद भी प्रार्थी क्रम 1, 2 तथा उनका पुत्र हरिओम व उसकी पत्नी प्रिया चारों को 5000–5000 रू प्रति व्यक्ति अलग से प्रतिमाह अप्रार्थी क्रम 1 से लेने की मांग करते है तथा अप्रार्थी क्रम 2 हितेश कुमार, प्रार्थी क्रम 1, 2 तथा प्रार्थीगण का पुत्र हरिओम व उसकी पत्नि प्रिया सभी मिलकर अप्रार्थी क्रम 2 (हितेश कुमार) को अप्रार्थी क्रम 1 गीता के विरूद्ध उकसाते हैं, जिस पर हितेश कुमार अप्रार्थी क्रम 1 के साथ मारपीट करता है तथा प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का पुत्र हरिओम व उसकी पत्नी प्रिया भी इसमें अप्रार्थी क्रम 2 का साथ देते है एवं वो भी अप्रार्थी क्रम 1 के साथ मारपीट करने पर आमादा रहते है।

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12/6/25 की घटना मनगढ़ंत व बनावटी बढ़ा–चढ़ा कर लिखी गई है जबकि वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के बेटे हरिओम व उसकी पत्नी प्रिया सभी ने मिलकर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अप्रार्थी क्रम 1 को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया व अप्रार्थी क्रम 1 को घर से बाहर निकालने के लिए आमादा हो गये व अप्रार्थी क्रम 1 का सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया गया, जिस पर अप्रार्थी क्रम 1 ने 100 नं. पर कॉल किया और अपनी सारी आपबीती सुनाई तो थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उनके कहने व समझाने के बाद मकान में रहने के लिए कहा गया। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थीगण से कभी भी यह नहीं कहा गया कि यह मकान मेरे नाम कर दो और ना ही कभी मकान को लेकर कोई झगड़ा प्रार्थीगण से किया गया। ना ही कभी उक्त मकान पर अपना हक जताया। मकान से निकालने की धमकियाँ प्रार्थीगण व उसके बेटे–बहु द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 (गीता) व उसके बच्चों को दी जाती है।

अप्रार्थी क्रम 1 के दिनांक 12/6/25 की हुई घटना की शिकायत थाना अनन्तपुरा में की थी जिसके बदले की भावना में झुठी शिकायत अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध थाना अनन्तपुरा में प्रार्थीगण के द्वारा की गई जिस कारण से उस पर पुलिस वालो ने कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 7/8/25 को प्रार्थीगण, प्रार्थीगण का बेटा हरिओम, जितेन्द्र व दोनों बेटों की पत्नियाँ प्रिया व रीना सभी ने एकराय होकर अप्रार्थी क्रम 1 के साथ गाली–गलौच करते हुए मारपीट की तथा प्रार्थी क्रम 1 ने कहा कि यह घर मेरा है निकल मेरे घर से, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया दहेज में, चली जा यहाँ से, पैसे देकर घर बना ले, अप्रार्थी क्रम 2 यह सब देखता रहा फिर सभी ने मिलकर अप्रार्थी क्रम 2 को अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध उकसाया और अप्रार्थी क्रम 2 ने अप्रार्थी क्रम 1 को कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। जिससे अप्रार्थी क्रम 1 के शरीर का आधा हिस्सा सुन्न पड़ गया तथा उसका मोबाईल छीन लिया गया, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने अप्रार्थी क्रम 1 महिला थाने चली गई। जहाँ उसका मेडिकल मुआयना हुआ। इस घटना के बाद से प्रार्थीगण व उनके बेटे व दोनों बहुए अप्रार्थी क्रम 1 को उसके बच्चों के साथ अकेली छोड़कर अपने दूसरे मकान नं. 1057, विनोवाभावे नगर कोटा में रहने चले गये। अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा कभी भी प्रार्थीगण के मकान को हड़पने व उन्हें बेदखल करने की साजिश नहीं की गई। इसके विपरित प्रार्थीगण स्वयं ही अप्रार्थी क्रम 1 व उसके बच्चों को घर से निकालना चाहते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी श्रीमान उचित समझे प्रतिपक्षी को दिलवाई जावें।

अप्रार्थी क्रम 2 की ओर से निम्नानुसार जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया:– मकान नम्बर–191, विनोबा भावे नगर, कोटा–राज० को अप्रार्थी क्रम–2 के पिता श्री बृजमोहन द्वारा अपनी स्वअर्जित आये बनाया गया था तथा उक्त मकान की मालिक व स्वामी अप्रार्थी क्रम–2 की माता श्रीमति मंजू बाई व पिता श्री बृजमोहन है तथा उक्त मकान के समस्त दस्तावेज अप्रार्थी क्रम–2 की माता के नाम पर है। इस कारण अप्रार्थी क्रम–2 का उक्त मकान में किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। उक्त मकान नम्बर 191, विनोबा भावे नगर, कोटा से अप्रार्थी क्रम–2 के माता पिता द्वारा अप्रार्थी क्रम–2 को बेदखल किया जाता है तो अप्रार्थी क्रम–2 को कोई आपत्ति नही है और भविष्य में भी उक्त मकान के सम्बन्ध में कोई दावेदारी अप्रार्थी क्रम–2 नहीं करेगा। तथा वर्तमान में भी लगभग 38 दिन से अप्रार्थी क्रम–2 अलग रह रहा हूं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और उक्त मकान से बेदखल होने पर भी अप्रार्थी क्रम–2 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रार्थी गण की ओर से दस्तावेज रिपोर्ट महिला थाना कोटा, नकल रिपोर्ट एस0पी0 कोटा शहर, रसीद महिला सुरक्षा केन्द्र कोटा, नकल रिपोर्ट थाना अनन्तपुरा कोटा पेश किये। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अपने समर्थन में दस्तावेज दिनांक 26.05.2025 को एस0एच0ओ0 अनंतपुरा कोटा में पेश रिपोर्ट व जांच अधिकारी द्वारा लिये बयान की प्रति, दिनांक 18.06.2025 को मानसिक प्रताडना की रिपोर्ट एस0एच0ओ0 अनंतपुरा की रिपोर्ट की प्रति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कोटा को शिकयत पत्र की प्रति, महिला बाल विकास अधिकरण कोटा को पेश आवेदन की प्रति, महिला परामर्श केन्द्र कोटा में लिखित शिकायत की प्रतिलिपि, दिनांक 26.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा को परिवाद की प्रति इत्यादि पेश की।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी क्रम 1 आये दिन प्रार्थीगण व उनके छोटे पुत्र हरिओम व उसकी पत्नी के साथ बिना किसी बात पर लडाई झगडे व मारपीट करती रहती है तथा झूठे मुकद मों में फंसाकर जैल भेजने की धमकी देती है। प्रार्थीगण व उनके पुत्र हरिओम को उन्ही के मकान से बेदखल करने के लिये किसी न किसी बात को लेकर लडाई झगडे करती रहती है। प्रार्थीगण के उक्त कथनों का खण्डन करते हुये अप्रार्थी नं0 1 की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीगण, प्रार्थीगण का बेटा हरिओम, जितेन्द्र व दोनों बेटों की पत्नियाँ प्रिया व रीना सभी ने एकराय होकर अप्रार्थी क्रम 1 के साथ गाली–गलौच करते हुए मारपीट की। अप्रार्थी क्रम 2 ने अप्रार्थी क्रम 1 को कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। जिसकी रिपोर्ट लिखवाने अप्रार्थी क्रम 1 महिला थाने चली गई। जहाँ उसका मेडिकल मुआयना हुआ।

हमने उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी नं0 1 के विरूद्ध दी गई शिकायत एवं रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से भी प्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाहियों की प्रति पेश की गई है। जिनके अवलोकन से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रकरण घेरलू एवं पारिवारिक हिंसा से सम्बंधित होना पाया जाता है। जिस कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिको एवं माता पिता के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

परन्तु न्यायहित एवं भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम की भावना को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार एवं गाली–गलौच नही करे, प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करके शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताडित नही करे। प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने दे एवं उनके साथ किसी प्रकार से अभद्र व्यवहार न करे।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 30/03/2026 .....को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा